तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/8/2024	पत्रावली पेश हुई। वकु. उप। हमने बहस आपत्ति मौका रिपोर्ट सुनी तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि प्रार्थी का खसरा नम्बर 170 है। उससे लगता हुआ खसरा नम्बर 171 है तथा उसके बाद 172 है। मौका रिपोर्ट मौके के खिलाफ एवं ऑफिस में बैठकर बनाई गई है। किसी पक्षकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। खसरा नम्बर 170 में [illegible] हो रही है। इस बाबत कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है कि उसमे मकान नहीं बने हुए है। अतः आपत्ति मौका रिपोर्ट स्वीकार की जाकर मौका रिपोर्ट मय फोटो रिपोर्ट पुनः मंगवाई जाने की कृपा करें। अप्रार्थी वकील के कथन रहे कि मौका रिपोर्ट पटवारी, ILR, तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बनाई गई है। प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया था। मौका रिपोर्ट मौके पर बनाई गई है जिसमे अनेक व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी है अतः श्रीमान से निवेदन आपत्ति मौका रिपोर्ट खारिज करवाये जाने [illegible] हमने [illegible] किया सुना। रिकॉर्ड [illegible] किया तो पाया कि मौका रिपोर्ट नियमानुसार तैयार की गई है एवं मौके पर	

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:50:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी अंकित है। मौका रिपोर्ट आपत्ति केवल प्रार्थना-पत्र 251 क के निस्तारण को लम्बा खींचने के उद्देश्य से पेश की गई है। अतः प्रार्थी की मौका आपत्ति ~~प्रार्थना~~ प्रार्थना-पत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 क के तहत हमने बहस को सुना गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 क के तहत सिद्ध न होने के कारण ~~सिद्ध~~ खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~दाखिल~~ दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:50:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner